STUDY IQ
PUBLICATIONS

NCERT सरलीकृत सीरीज़

- मूल अवधारणाओं पर विशेष फोकस
- सारगर्भित और स्पष्ट भाषा
- विषयवार वर्गीकरण
- नई एनसीईआरटी से अपडेटेड कंटेंट
- मूल्यांकन के लिए अभ्यास प्रश्न

राजव्यवस्था

सारांश नोट्स

कक्षा 6-12

यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

प्रस्तावना

प्रिय अभ्यर्थियों,

"NCERT सरलीकृत (NCERT Simplified)" पुस्तक श्रृंखला में आपका स्वागत है, यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पाठ्यपुस्तकों का संक्षिप्त और स्पष्ट अवलोकन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गयी एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक यूपीएससी, एसएससी और अन्य सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। StudyIQ द्वारा प्रकाशित, इस पुस्तक का उद्देश्य अत्यधिक विस्तृत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को सरल बनाना और आपको अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान से समृद्ध करना है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को विभिन्न विषयों की गहन समझ के लिए एक नींव के रूप में माना जाता है। इन पुस्तकों की सुस्पष्ट पाठ्य सामग्री और सटीकता पर शिक्षकों और छात्रों दोनों द्वारा समान रूप से भरोसा किया जाता है। हालाँकि, इसके विस्तृत पाठ्यक्रम के कारण, अभ्यर्थियों के लिए पुस्तक में दिए हुए हर विवरण को कवर करना या पढ़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, "NCERT सरलीकृत" को आपकी तैयारी को कारगर बनाने और सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए एक आदर्श सहयोगी के रूप में तैयार किया गया है।

इस पुस्तिका श्रृंखला को रणनीतिक रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है; शुरुआत में केन्द्रीय तथ्य सार एवं सिद्धांत तथा अंत में राज्य विशेष तथ्य सार एवं सिद्धांत। परीक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक है, जो सूचनाओं की अधिकता और प्रश्नों की जटिलता के कारण और भी कठिन हो जाता है। ये पुस्तिकाएं विशेष रूप से उन समस्याओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, जिनका सामना अभ्यर्थियों को उनकी प्रारंभिक तैयारी के दौरान करना पड़ता है। यह अभ्यर्थियों से संबंधित आवश्यक मुद्दों को सुलझाने और प्रारम्भिक परीक्षा से पहले उनके अमूल्य समय को बचाने का एक सार्थक प्रयास है।

पुस्तिका की प्रमुख विशेषताएं:

- **सारगर्भित सारांश:** हमने अनावश्यक विवरणों को समाप्त करते हुए मुख्य अवधारणाओं, परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को समाहित किया है, ताकि आप आवश्यक ज्ञान में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- **विषय-वार प्रस्तुति:** पुस्तक को अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक एक विशिष्ट विषय के लिए समर्पित है, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजव्यवस्था, समाज इत्यादि।
- **सटीक और स्पष्ट भाषा शैली:** हमारा मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में भाषा की सटीकता और स्पष्टता महत्वपूर्ण है। इसलिए, पुस्तक की भाषा को सरल एवं सहज रखा गया है, जिससे जटिल अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। यह लेखन शैली न केवल विषय की त्वरित समीक्षा में सहायता करती है, बल्कि जानकारी के बेहतर उपयोग करने की सुविधा भी प्रदान करती है।
- **अभ्यास प्रश्न:** सारांश के साथ ही, "NCERT सरलीकृत" में आपकी समझ का आकलन करने और आपके सीखने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सोच-समझकर तैयार किये गये अभ्यास प्रश्न शामिल हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता की यात्रा में, "एनसीईआरटी सरलीकृत" आपका विश्वसनीय सहयोगी होने का वादा करता है। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक आपको अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक ज्ञान, आत्मविश्वास और कौशल के साथ सशक्त बनाएगी।

शुभकामनाओं सहित

टीम Study IQ

विषय सूची

कक्षा : 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन – I

1. विविधता की समझ 2
2. विविधता और भेदभाव 5
3. सरकार 9
4. पंचायती राज 12
5. ग्राम प्रशासन 14
6. नगर प्रशासन 16
7. ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका 18
8. शहरी क्षेत्र में आजीविका 21

कक्षा : 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन – II

1. समानता 24
2. स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की भूमिका 27
3. राज्य सरकार कैसे काम करती है 31
4. लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना 34
5. महिलाओं ने बदली दुनिया 36
6. मीडिया को समझना 39
7. हमारे आसपास के बाजार 42
8. बाजार में एक शर्ट 44

कक्षा : 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन – III

1. भारतीय संविधान 47
2. धर्मनिरपेक्षता की समझ 52
3. संसद तथा कानूनों का निर्माण 55
4. न्यायपालिका 59
5. हाशियाकरण की समझ 64
6. हाशियाकरण से निपटना 68
7. जनसुविधाएं 72
8. कानून और सामाजिक न्याय 75

कक्षा : 9 लोकतांत्रिक राजनीति – I

1. लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों जरूरी है? 80
2. संविधान निर्माण 84
3. चुनावी राजनीति 91
4. संस्थाओं का कामकाज 100
5. लोकतांत्रिक अधिकार 108

कक्षा : 10 लोकतांत्रिक राजनीति – II

1. सत्ता की साझेदारी 116
2. संघवाद 120
3. जाति, धर्म और लैंगिक मुद्दे 126
4. राजनीतिक दल 134
5. लोकतंत्र के परिणाम 140

कक्षा : 11 (भाग–1) भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार

1. संविधान: क्यों और कैसे? 146
2. भारतीय संविधान में अधिकार 153
3. चुनाव और प्रतिनिधित्व 163
4. कार्यपालिका 171
5. विधायिका 179
6. न्यायपालिका 189
7. संघवाद 199
8. स्थानीय सरकार 207
9. संविधान एक जीवित दस्तावेज के रूप में 214
10. भारतीय संविधान का दर्शन 223

कक्षा : 11 (भाग–2) राजनीतिक सिद्धांत

1. राजनीतिक सिद्धांत: एक परिचय 234
2. स्वतंत्रता 237
3. समानता 243
4. सामाजिक न्याय 250
5. अधिकार 256
6. नागरिकता 262

7. राष्ट्रवाद 268

8. धर्मनिरपेक्षता 274

कक्षा : 12 (भाग-1) समकालीन विश्व राजनीति

1. द्विध्रुवीयता का अंत 282

2. सत्ता के समकालीन केंद्र 290

3. समकालीन दक्षिण एशिया 297

4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन 306

5. समसामयिक विश्व में सुरक्षा 317

6. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन 325

7. वैश्वीकरण 332

कक्षा : 12 (भाग-2) स्वतंत्र भारत में राजनीति

1. राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ 338

2. एक दल के प्रभुत्व का दौर 347

3. नियोजित विकास की राजनीति 355

4. भारत के विदेश संबंध 360

5. कांग्रेस प्रणाली: चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना 369

6. लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 378

7. क्षेत्रीय आकांक्षाएँ 387

8. भारतीय राजनीति: नए बदलाव 400

प्रतिदर्श पेज

- **ऐतिहासिक प्रभाव:** विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने कई क्षेत्रों में जीवन व संस्कृतियों को आकार दिया और उनकी विविधता में योगदान दिया।

भौगोलिक अनुकूलन

- **भूगोल की समृद्धि:** विविधता तब उत्पन्न होती है जब लोग अपनी जीवन शैली को अपने भौगोलिक परिवेश के अनुकूल बनाते हैं। समुद्र के पास रहना पहाड़ी क्षेत्रों में रहने से अलग है जो कपड़ों, खाने की आदतों और काम के प्रकारों को प्रभावित करता है।
- **शहरी जीवन:** शहरों में लोगों का जीवन उनके भौतिक परिवेश से अलग लग सकता है क्योंकि वे अपनी उपज खुद उगाने के बजाय भोजन और वस्तुओं के लिए बाजारों पर निर्भर रहते हैं।

केरल और लद्दाख में विविधता

- **लद्दाख व जम्मू एवं कश्मीर** के पहाड़ों में एक मरुस्थली क्षेत्र है जिसमें वर्ष के अधिकांश अवधि में बर्फ के आवरण और वर्षा की कमी के कारण सीमित कृषि होती है।
  - लोग पानी पीने के लिए और विशेष रूप से मूल्यवान पश्मीना ऊन के लिए भेड़ व बकरियों को पालने के लिए पिघलती बर्फ पर निर्भर हैं।
  - लद्दाख एक व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है और इसमें लोक गीतों व कविताओं की समृद्ध परंपरा के साथ तिब्बत एवं इस्लाम का सांस्कृतिक प्रभाव है।
- **केरल** दक्षिण-पश्चिम भारत का एक तटीय राज्य है जो समुद्र और पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
  - यहाँ मसालों की खेती ने यहूदी, अरब और पुर्तगाली समुदायों सहित व्यापारियों को आकर्षित किया।
  - केरल अपनी धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है जिसमें **यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध** धर्म शामिल हैं। चावल, मछली और सब्जियां यहाँ मुख्य आहार हैं और मछली पकड़ने के जालों एवं बर्तनों में चीन का सांस्कृतिक प्रभाव देखा जा सकता है।

अपनी विषम भौगोलिक स्थिति के बावजूद दोनों क्षेत्रों ने समान सांस्कृतिक प्रभावों का अनुभव किया है। यह केरल का भूगोल था जिसने मसालों की खेती की अनुमति दी थी और लद्दाख एवं उसके ऊन की विशेष भौगोलिक स्थितियों ने व्यापारियों को इन क्षेत्रों में आकर्षित किया था। इस प्रकार इतिहास और भूगोल प्रायः एक साथ बंधे हुए हैं।

समकालीन आपसी व्यवहार

- **आधुनिक गतिशीलता:** वर्तमान जीवन शैली में काम के लिए लगातार स्थानांतरण करना पड़ता है जिससे सांस्कृतिक परंपराओं एवं जीवन के तरीकों को नए वातावरण में एकीकृत किया जा सकता है।
- **आस-पड़ोस की विविधता:** स्थानीय समुदायों के भीतर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, कहानियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं को साझा करते हैं एवं पारस्परिक संबंधों व सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं।

विविधता में एकता

- भारत की विविधता सदैव शक्ति का स्रोत रही है।
- ब्रिटिश शासन के दौरान **विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट** हुए। उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने के लिए अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ काम किया।
- जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बहादुर प्रदर्शनकारियों के सम्मान में एक गीत को प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम के गीत और प्रतीक हमें विविधता का सम्मान करने की भारत की परंपरा की याद दिलाते हैं।
- **रवींद्रनाथ टैगोर** द्वारा रचित भारत का राष्ट्रगान भारत की एकता की एक और अभिव्यक्ति है।
- भारतीय ध्वज, विरोध का प्रतीक बन गया।
- **जवाहरलाल नेहरू ने** देश का वर्णन करने के लिए **'विविधता में एकता'** वाक्यांश गढ़ा तथा सहिष्णुता की गहरी भावना और मान्यताओं व रीति-रिवाजों की स्वीकृति पर जोर दिया।

स्मरणीय बिंदु

- 'जन गण मन' का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने फरवरी 1919 में चित्तूर जिले के मदनपल्ले में किया था।
- जलियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में हुआ था।
- केरल में ओणम त्योहार के दौरान नौका दौड़ के खेल आयोजित किए जाते हैं।
- पश्मीना शॉल लद्दाख में प्रसिद्ध है।

प्रश्न

1. लद्दाख क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये जिसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक इसकी विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं:

1. पश्मीना ऊन लद्दाख में बकरियों द्वारा उत्पादित किया जाता है और इसे अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है।

2. बौद्ध धर्म लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा, जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है।

गैर-हस्तक्षेप की रणनीति:

- सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप से बचने के लिए, सरकार कुछ धार्मिक समुदायों के लिए अपवाद बनाती है।
- कुछ धार्मिक प्रथाओं को तब तक अनुमति दी जा सकती है जब तक वे दूसरों के अधिकारों और कल्याण का उल्लंघन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, सिखों को हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत सरकार मानती है कि पगड़ी उनकी धार्मिक प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

हस्तक्षेप की रणनीति :

- राज्य सभी नागरिकों के अधिकारों और समानता को बनाए रखने के प्रयास में धार्मिक वर्चस्व या भेदभाव की घटनाओं में हस्तक्षेप करता है।
- अस्पृश्यता, हिंदू धर्म के भीतर एक सामाजिक कुप्रथा है जो कुछ निचली जातियों के साथ भेदभाव करती है और उन्हें अलग थलग करती है, इस कुप्रथा पर प्रतिबन्ध हस्तक्षेप का एक उदाहरण है।
- राज्य समान उत्तराधिकार अधिकारों और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों की गारंटी के लिए समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है।

समर्थन की रणनीति:

- भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को समर्थन के अंतर्गत अपने स्वयं के संस्थान और कॉलेज स्थापित करने का अधिकार देता है।
- धार्मिक समुदायों को उनकी शैक्षिक पहलों का समर्थन करने के लिए गैर-प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता और संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता के बीच तुलना

भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।	अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन विधायिका को किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म घोषित करने से रोकता है।
संवैधानिक आदर्शों के आधार पर, आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देता है।	धर्म और राज्य को सख्ती से अलग करता है धार्मिक मामलों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
राज्य, धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से यह अलगाव सैद्धांतिक है।	न तो राज्य और न ही धर्म एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
राज्य किसी धार्मिक समुदाय के भीतर सामाजिक मुद्दों या भेदभाव को संबोधित करने के लिए धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकता है (उदाहरण के लिए, अस्पृश्यता को समाप्त करना)।	धार्मिक प्रथाओं या मामलों में राज्य को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है।
संविधान राज्य के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के लिए मानक के रूप में कार्य करता है।	एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में धार्मिक मामलों में राज्य की भागीदारी के अभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है।	संवैधानिक प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और आधिकारिक धर्म की स्थापना या किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता देने पर प्रतिबंध लगाते हैं।

याद रखने योग्य बिन्दु

- संयुक्त राज्य अमेरिका में, सरकारी स्कूलों में अधिकांश बच्चों को अपने स्कूल के दिन की शुरुआत 'निष्ठा की शपथ' पढ़कर करनी होती है। हालाँकि, यह 60 साल से भी पहले तय कर दिया गया था कि सरकारी स्कूल के छात्र को शपथ दोहराने की आवश्यकता नहीं है यदि यह उसकी धार्मिक आस्था के साथ विरोधाभासी है।
- फरवरी 2004 में, फ्रांस ने एक कानून पारित किया जिसमें छात्रों को इस्लामिक बुरका, यहूदी टोपी या बड़े ईसाई क्रॉस जैसे किसी भी विशिष्ट धार्मिक या राजनीतिक चिह्न या प्रतीक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

शब्द संकलन

जोर-जबरदस्ती- इसका अर्थ है किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है।

© StudyIQ Publications

एकीकृत न्यायिक प्रणाली: भारत में विभिन्न स्तरों की अदालतें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। **निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक के न्यायालयों की संरचना ऐसी है कि यह एक पिरामिड के समान है।**

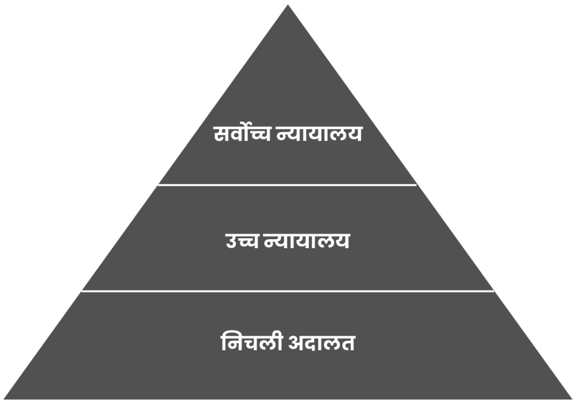

भारत की एकीकृत न्यायिक प्रणाली की पिरामिड संरचना

अपील की व्यवस्था

अपील की व्यवस्था यानि अपीलीय प्रणाली व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देती है यदि उन्हें लगता है कि निचली अदालत का फैसला अन्यायपूर्ण है। आइए इसे एक केस स्टडी के जरिए समझते हैं।

केस स्टडी: राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य (1985)

- लक्ष्मण कुमार की पत्नी सुधा गोयल की दिसंबर 1980 में जलने के कारण एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। सुधा के परिवार ने लक्ष्मण और उनके परिवार के सदस्यों पर उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए ट्रायल कोर्ट में मामला दायर किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही दी कि उन्होंने सुधा की चीख सुनी और उसे लक्ष्मण के फ्लैट में जलते हुए देखा। सुधा ने आरोप लगाया कि उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण ने आग लगायी थी।
- सुधा के परिवार और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा को उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया था।
- ट्रायल कोर्ट ने लक्ष्मण, उनकी मां शकुंतला और उनके बहनोई सुभाष चंद्र को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई।
- नवंबर 1983 में, अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उन्हें बरी कर दिया, और निष्कर्ष निकाला कि सुधा की मृत्यु केरोसिन स्टोव के कारण लगी आकस्मिक आग के कारण हुई थी। महिला समूहों ने उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध किया और भारतीय महिला वकीलों के संघ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में एक अलग अपील दायर की। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उनके परिवार के सदस्यों को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई की। दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण सुभाष को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उनकी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई।

उपर्युक्त मामले में अपील की व्यवस्था

- यह व्यवस्था पार्टियों को निचली अदालतों के फैसलों को उच्च अदालतों में चुनौती देने की अनुमति देती है।
- इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की, जिससे वे बरी हो गए।
- हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट महिला समूहों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने, शीर्ष अदालत के रूप में, मामले की समीक्षा की और लक्ष्मण और उनकी मां की सजा को बरकरार रखते हुए एक अलग निर्णय दिया।
- अपीलीय प्रणाली उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने और संशोधित करने का अवसर प्रदान करती है।

विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएँ

भारत में कानूनी प्रणाली दो शाखाओं में विभाजित है: आपराधिक/फौजदारी कानून और नागरिक कानून।

फौजदारी कानून	दीवानी कानून
• यह ऐसे आचरण या कृत्यों से संबंधित है जिन्हें कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए चोरी करना, किसी महिला को अधिक दहेज लाने के लिए परेशान करना, हत्या करना इत्यादि। • इसकी शुरुआत आमतौर पर पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से होती है जो अपराध की जांच करती है जिसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है। • दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।	• यह व्यक्तियों के अधिकारों को किसी भी तरह की हानि या क्षति से संबंधित है। उदाहरण के लिए, जमीन की बिक्री, सामान की खरीद, किराए के मामले, तलाक के मामले से संबंधित विवाद। • प्रभावित पक्ष को ही संबंधित अदालत के समक्ष याचिका दायर करनी होती है। किराये के मामले में मकान मालिक या किरायेदार कोई भी मामला दर्ज कर सकता है। • अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए, मकान मालिक और किरायेदार के बीच के मामले में, अदालत फ्लैट खाली करने और लंबित किराए का भुगतान करने का आदेश दे सकती है।

© StudyIQ Publications

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

- **इजराइल एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली का पालन करता है,** जो भारत में उपयोग की जाने वाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) प्रणाली से बहुत अलग है।
  - **इजराइल में मत की गणना के बाद सभी पार्टी को उसके मतों के अनुपात में** संसद में सीटों का हिस्सा आवंटित किया जाता है।
  - **प्रत्येक पार्टी** चुनाव से पहले घोषित की गई उम्मीदवारों की वरीयता सूची से **अपने कोटे की आवंटित संसद की सीटों को** भरती है। चुनाव की इस प्रणाली को **आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली कहा जाता है।**
  - इस प्रणाली में किसी पार्टी को उसी अनुपात में सीटें मिलती हैं, जिस अनुपात में उसे मत मिलते हैं।
- **PR प्रणाली के दो रूप हैं:**
  - **इजराइल और नीदरलैंड** जैसे कुछ देशों में, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में माना जाता है, और पार्टियों को उनके राष्ट्रीय मत के हिस्से के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं।
  - **अर्जेंटीना और पुर्तगाल** जैसे अन्य देशों में, देश को बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और पार्टियां प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करती हैं।
- **किसी पार्टी को प्राथमिकता :** PR प्रणाली में, मतदाता उम्मीदवार के बजाय **किसी पार्टी को प्राथमिकता देते हैं**
  - किसी निर्वाचन क्षेत्र में सीटें प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के आधार पर वितरित की जाती हैं। परिणामस्वरूप, एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि विभिन्न दलों से संबंधित हो सकते हैं।
- **भारत में:** भारत अप्रत्यक्ष चुनावों जैसे कि के चुनाव के लिए सीमित पैमाने पर PR प्रणाली का उपयोग करता है
  - **अध्यक्ष**
  - **उपाध्यक्ष**
  - **राज्य सभा**
  - **विधान परिषद**
  - ये चुनाव संविधान द्वारा निर्धारित PR **प्रणाली के तीसरे और जटिल प्रणाली का पालन करते हैं।**

राज्यसभा चुनाव में PR कैसे काम करता है?

- राज्यसभा चुनावों के लिए PR का तीसरा संस्करण, **एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली (एसटीवी) का पालन किया जाता है।**
- प्रत्येक राज्य में राज्यसभा में सीटों का एक विशिष्ट कोटा होता है।
- सदस्यों **का चुनाव संबंधित राज्य विधान सभाओं द्वारा किया जाता है।** उस राज्य में मतदाता ही विधायक होते हैं।
- प्रत्येक मतदाता को अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को रैंक करना आवश्यक है।
- विजेता घोषित होने के लिए, उम्मीदवार को न्यूनतम वोट कोटा हासिल करना होगा, जो एक सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है:

$$\left(\frac{\text{कुल डाले गए मत}}{\text{निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या +1}}\right)+1$$

चुनाव की FPTP और PR प्रणाली की तुलना	
FPTP	**PR**
देश को छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिले कहा जाता है।	बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया जाता है। पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि चुनता है।	एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं
मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट देता है	मतदाता पार्टी को वोट देता है
किसी पार्टी को विधायिका में वोटों से अधिक सीटें मिल सकती हैं।	प्रत्येक दल को प्राप्त मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं।
चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत (50%+1) वोट नहीं मिल सकते हैं	चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत मिलता है।
उदाहरण: यूके, भारत	**उदाहरण:** इजराइल, नीदरलैंड

भारत द्वारा FPTP प्रणाली अपनाने के पीछे कारण

- **सरलता:** FPTP प्रणाली आम मतदाताओं के लिए समझने में सीधी और आसान है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें राजनीति और चुनावों के बारे में विशेष जानकारी नहीं है।
- **मतदाताओं के लिए स्पष्ट विकल्प:** FPTP प्रणाली में, मतदाता **चुनाव के दौरान स्पष्ट विकल्प प्रदान करते हुए किसी विशिष्ट उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन कर सकते हैं।**
- **निर्वाचन क्षेत्र-आधारित प्रतिनिधित्व:** FPTP मतदाताओं को अपने स्वयं के प्रतिनिधि को जानने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना आसान हो जाता है।
- **संसदीय प्रणाली में स्थिरता:** FPTP प्रणाली संसदीय प्रणाली में एक स्थिर सरकार के गठन की सुविधा प्रदान करती है, जहां कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है।

© StudyIQ Publications